

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 मई 2023—वैशाख 26, शक 1945

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2023

अधि. क्र.-11 एफ 3-3-4-0001-2023-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 86 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

द्वितीय अनुसूची के क्रमांक 5 के कॉलम (12) में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(एक) ‘क’ श्रेणी की नगरपालिका परिषदों के अधीक्षक, ‘ग’ श्रेणी की नगरपालिका परिषद् के राजस्व निरीक्षकों एवं राजस्व उप निरीक्षकों तथा संबंधित पदों का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले नगरपालिका परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा;

(दो) सहायक ग्रेड-1, मुख्य लिपिक-सह-लेखापाल एवं लेखापाल के पदों पर कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले नगरपालिका परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2023

क्र.-11 एफ 3-3-4-0001-2023-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 11 एफ 3-3-4-0001-2023-अठारह-3, दिनांक 16 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal the 16th May 2023

Noti. No.11-F 3-3-4-0001-2023-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 86 read with Section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipal Service (Executive) Rules, 1973, namely :—

AMENDMENTS

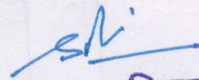
In the said rules,-

In the SECOND SCHEDULE, in S. No. 5, for the existing entries of column (12), the following entries shall be substituted, namely :—

"(i) By promotion of Superintendent of Class-A Municipal Councils, Revenue Inspectors and Revenue Sub-Inspectors of Class-C Municipal Councils and employees of the Municipal Council having at least 5 years" experience of the respective post.

(ii) By promotion of employees of the Municipal Council, having at least 7 years" experience on the posts of Assistant Grade-I, Head Clerk-cum-Accountant and Accountant."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगर विकास एवं आवास विभाग